

**बिहार सरकार**  
**विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग**

प्रेषक

**अतुल सिन्हा,**

निदेशक

सेवा में,

**प्राचार्य,**

नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी,

पटना, दिनांक .....

**विषयः—** वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट के मुख्यशीर्ष—4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष—02—तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष—105—इंजीनियरिंग/ तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या—43, उपशीर्ष—0102—पोलिटेक्निक/ इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय (विप्र कोड 43—4202021050102) के अधीन पुनर्विनियोग से उपबंधित राशि का आवंटन।

**महाशय,**

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय व्यायादेश संख्या—2199, दिनांक 20.08.2018 के द्वारा नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु स्वीकृत राशि रु. 9,33,50,000=00 (नौ करोड़ तीन सौ लाख पचास हजार रुपये) मात्र के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु. 1,18,00,000=00 (एक करोड़ अठारह लाख रुपये) मात्र, संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर—कार्यालय तथा 53 02 मशीनें एवं उपस्कर—अन्य विषयशीर्षों के अधीन पुनर्विनियोग सहित उपबंधित राशि से कुल रु. 1,18,00,000=00 (एक करोड़ अठारह लाख रुपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है—

क्र. सं.	विषयशीर्ष	आवंटित राशि (रुपये में)
1	52 01 मशीनें एवं उपस्कर—कार्यालय	73,00,000=00
2	52 02 मशीनें एवं उपस्कर—अन्य	45,00,000=00
	<b>कुल</b>	<b>1,18,00,000=00</b>

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या— 2561 /वि.(2), दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक—6115, दिनांक 13.08.2018 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों एवं वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा—निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुरपष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280 / वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा—निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. ठी. भी. न. एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/ —

(अतुल सिन्हा)  
निदेशक

ज्ञापांक— वि.प्रा.(III)ब-8 / 2013 (पार्ट)-

/ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना / महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ -

निदेशक

ज्ञापांक— वि.प्रा.(III)ब-8 / 2013 (पार्ट)-

/ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, हिलसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ -

निदेशक

ज्ञापांक— वि.प्रा.(III)ब-8 / 2013 (पार्ट)-

३६८१८/पटना, दिनांक

६.९.२०१८

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / उप निदेशक (यो) / योजना सहायक / आई.टी. मैनेजर (ई-मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) / एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
०५.०९.१८  
निदेशक

  
३१/९/१८

मृगलौल, अ८